



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262112 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : ५९१९ /अका. /2006

रायपुर, दिनांक : २२ /०३ /2006

॥ अधिसूचना ॥

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय समन्वय समिति की दिनांक 02.02.2006 को सम्पन्न 11 वीं बैठक में Bachelor of Physiotherapy पाठ्यक्रम से सम्बन्धित अध्यादेश क्रमांक 133 की कंडिका 8 Eligibility for the degree के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान –

"The candidate shall be eligible for the degree of Bachelor of Physiotherapy when had undergone the prescribed course of study for a period of not less than four years in an institution proved by the University and has passed the prescribed examination in the subjects" के पश्चात निम्नलिखित रेखांकित अंश –

The subject psychology will be in two parts i.e. in the first year general psychology and in the second year clinical psychology.

को जोड़ने सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया है। तदनुसार अध्यादेश क्रमांक 133 में रेखांकित अंश जोड़ दिया गया है।

संशोधित अध्यादेश की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

आदेशानुसार,

Cen 12

कुलसचिव

पृ.क्रमांक : ५९२० /अका. /2006

रायपुर, दिनांक : २२ /०३ /2006

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर (छ.ग.) ।
 2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.) ।
 3. प्राचार्य, समस्त सम्बन्धित महाविद्यालयों को ।
 4. उप कुलसचिव (परीक्षा) / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय), पं. रविशंकर शुक्ल विवि.रायपुर।
 5. प्रभारी, उपाधि प्रकोष्ठ, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ।
 6. वित्ताधिकारी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ।
 7. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ।
- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

WQ
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)